**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर, जिला – भीलवाड़ा (राज0)**
**राजस्व लोक अदालत केम्प न्याय आपके द्वार–2016 ग्राम पंचायत ढोसर**
**पीठासीन अधिकारी :– कृष्णपाल सिंह चौहान आर.ए.एस.**

**प्रकरण संख्या – 25/2016**

1. श्री कालु पिता मेधा कुमावत निवासी गठीला खेडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।

**प्रार्थी**

**बनाम**

1. श्री गोपी पिता हजारी कुमावत निवासी गठीला खेडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
2. श्री सालगराम पिता हजारी कुमावत निवासी गठीला खेडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
3. श्री रामा पिता हजारी कुमावत निवासी गठीला खेडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
4. श्री बरदू पिता मेधा कुमावत निवासी गठीला खेडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
5. श्रीमती चांदी पत्नि प्यारा कुमावत निवासी गठीला खेडा तहसील सहाडा हाल कारोई जिला भीलवाडा।
6. श्रीमती नानूडी पुत्री सोहन बाई पत्नि दीपा कुमावत निवासी मटुणिया तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा जिला भीलवाडा।
8. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पी.आई.यु.) 6–ए–1, आर.सी.व्यास कॉलोनी भीलवाडा (राज0)

**विपक्षीगण**

## प्रार्थना– पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट

## आदेश

दिनांक 25.05.2016

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 के तहत् मुकाम ढोसर पर प्रस्तुत हुई। प्रार्थी उपस्थित प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के पक्ष में विपक्षीगण के विरुद्ध ताफेसला मूलवाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा फरमाई जावें कि विपक्षीगण प्रार्थना पत्र की कलम संख्या तीन में वर्णित आराजियात 8/1 रकबा 0.68हे., 10/1 रकबा 0.2919हे., 26/2 रकबा 0.340हे., 27/2 रकबा 0.4845हे., 29/2 रकबा 0.3875हे. कुल किता 5 रकबा 1.8799हे. तथा आराजी नम्बर 9 मे से रकबा 0.20हे., 10 मे से रकबा 0.340हे., 27 में से रकबा 0.4845हे., 28 रकबा 0.15हे., 29 में से रकबा 0.3875हे. 38 मे से रकबा 1.25हे. भूमि शेष रही। इस प्रकार पक्षकारान् की भूमि में से अवाप्त होने के बाद 3.45हे. भूमि शेष रही को अथवा उसके किसी भी हिस्से को हस्तान्तरित नहीं करे और प्रार्थी को अपने हिस्से अनुसार काश्त करने में भी किसी प्रकार की रोक टोक नहीं करे। दौराने दावा विपक्षीगण कानून को हाथ में लेकर प्रार्थी को बेदखल कर देवे अथवा सम्पूर्ण जमीन को अथवा आंशिक हिस्से को हस्तान्तरित कर देवे तो ऐसे हस्तान्तरण को आदेशात्मक निषेधाज्ञा के जरिये निरस्त घोषित फरमाया जावे और प्रार्थी को पुनः कब्जा कराया जावे।

विपक्षीगण द्वारा प्रा0पत्र 212 रा0टि0 एक्ट का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः जवाब का अवसर समाप्त किया जाता है। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 के तहत् वक्त शिविर मजमें आम में प्रार्थी को सुना गया।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाडा (राज.)

स्वीकार करने बाबत् निवेदन किया।

मैने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया वक्त सुनवाई प्रार्थी द्वारा की गई प्रार्थना एवं उपलब्ध दस्तावेज पर गहनता से मनन किया। जमाबंदी संम्वत् 2072 से 2075 अंकित ग्राम गठीलाखेडा के आराजी नम्बर 8/1 रकबा 0.68हे., 10/1 रकबा 0.2919हे., 26/2 रकबा 0.340हे., 27/2 रकबा 0.4845हे., 29/2 रकबा 0.3875हे. कुल किता 5 रकबा 1.8799हे. तथा आराजी नम्बर 9 मे से रकबा 0.20हे., 10 मे से रकबा 0.340हे., 27 में से रकबा 0.4845हे., 28 रकबा 0.15हे., 29 में से रकबा 0.3875हे. 38 मे से रकबा 1.25हे. भूमि शेष रही संयुक्त भूमि प्रार्थी एवं विपक्षीगणो के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला प्रमाणित होता है तथा सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होती है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0 एक्ट का स्वीकार किया जाने योग्य है।

**—:: आदेश ::—**

प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0 एक्ट का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में विरुद्ध विपक्षीगण इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा मूलवाद के ताफैसला तक जारी की जाती है कि ग्राम गठीलाखेडा के आराजी नम्बर 8/1 रकबा 0.68हे., 10/1 रकबा 0.2919हे., 26/2 रकबा 0.340हे., 27/2 रकबा 0.4845हे., 29/2 रकबा 0.3875हे. कुल किता 5 रकबा 1.8799हे. तथा आराजी नम्बर 9 मे से रकबा 0.20हे., 10 मे. से रकबा 0.340हे., 27 में से रकबा 0.4845हे., 28 रकबा 0.15हे., 29 में से रकबा 0.3875हे. 38 मे से रकबा 1.25हे. भूमि को अथवा उसके किसी भी हिस्से को हस्तान्तरित नहीं करे, और प्रार्थी को अपने हिस्से अनुसार काश्त करने में भी किसी प्रकार की रोक टोक नही करे। दौराने दावा विपक्षीगण कानून को हाथ में लेकर प्रार्थी को बेदखल कर देवे अथवा सम्पूर्ण जमीन को अथवा आंशिक हिस्से को हस्तान्तरित कर देवे तो ऐसे हस्तान्तरण को आदेशात्मक निषेधाज्ञा के जरिये निरस्त फरमाया जावे और प्रार्थी को पुनः कब्जा कराया जावे।

**पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।**

(श्री कृष्णपाल सिंह चौहान)
सहायक कलक्टर
गंगापुर जिला भीलवाडा

सहायक कलक्टर
गंगापुर जिला भीलवाडा (राज.)